

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर।
पत्रांक- 239 / 22-1 दिनांक गाजीपुर, 25-3 2022
सेवा में,

अवर अभियन्ता/कार्य
निर्माण/बी0एस0बी0, पूर्वोत्तर रेलवे,
वाराणसी।

विषय- पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहार-जौनपुर रेलमार्ग रेलवे सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर में (किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रस्तावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 सं0-10.900से 57.400 तक) में प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 1337 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल प्रभावित 49.92276 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक सं0-8बी / यू0पी0 / 07 / 118 / 2021 / एफ0सी0 / 256 दिनांक 18.07.2022।

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगाये गये आपत्ति का निस्तारण कर पाँच प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे वांछित बिन्दुओं की सूचना उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

भवदीय

(प्रदीप)

प्रभागीय निदेशक

सू0वा0प्रभाग, गाजीपुर

पत्रांक 239 / समदिनांक ।

प्रतिलिपि- उक्त के कम में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2 वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त वाराणसी।
- 3 प्रभागीय निदेशक, सामाजिक, वानिकी प्रभाग, जौनपुर।
- 4 उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण/ पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी।

67L

(प्रदीप)

प्रभागीय निदेशक

सू0वा0प्रभाग, गाजीपुर।



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc2.lko-mef@gov.in, golmoefrolko@gmail.com

पत्र सं० : 841/यूपीओ/07/118/2021/एफसीओ/256

दिनांक : 18.07.2022

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन,
लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Rail/41878/2019

विषय: पूर्वांचल रेलवे औडिहार-जीनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के दोहराकरण में जनपद गाजीपुर (किमी० 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पीछों के पातन तथा जनपद जीनपुर में (किमी० 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1337 वृक्षों/पीछों के पातन की अनुमति अर्थात् कुल 49.92278 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1346 वृक्षों/पीछों के पातन की अनुमति के संबंध।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं०-1433/81-2-2022-800(54)/2021, लखनऊ, दिनांक - 22.06.2022.

Sir,

This is to inform you that as per decision of REC dated 27.04.2022, the proposal was referred to the Ministry for further necessary action in accordance with Guidelines dated 10.03.2022. The Ministry has sought further clarification on following points which may be provided at the earliest for further processing of the proposal-

- 1- From the examination of area calculation statement, it seems that only 6.8 meters width (LHS) of area has been considered for calculation of the area proposed for diversion, while the remaining area falling in the RoW which might have been used for signalling and other ancillary facilities/components has not been accounted for estimating the total area. Width of 6.8 meter may be required only for the formation of railway track while requirement of other ancillary components/structures may also involve forest area and may be taken into consideration for the estimating the exact area required for doubling the track.
- 2- It is mentioned that proposal has 1337 project affected trees. Tree enumeration list has also been submitted. Given the fact that considerable forest area of 38.91 ha. has already been used by the user agency unauthorizedly for construction of railway line where tree felling must be taken by user agency, it needs clarification whether 1337 trees will be felled in the remaining virgin area of 11.012 ha. or otherwise.

RAC

20/7/22

20/7/22

3. Since unauthorized construction of railway line has already taken place, it needs to be ensured that muck generated from earth cutting needs to be disposed off in a scientific manner to avoid destruction of nearby forest area. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.
4. In accordance with guidelines dated 10.03.2022, it needs to be clarified and relevant documents needs to be produced if the area proposed for diversion is railways owned land within railways RoW.

भवदीया,

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर एवं जौनपुर।
4. अवर अभियंता/कार्य/निर्माण/बी०एस०वी०/उत्तर रेलवे वाराणसी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 224 /11-सी-FP/UP/Rail/41878/2019, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 19, 2022

- प्रतिलिपि- वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर/जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- अवर अभियंता/कार्य/निर्माण/बी०एस०वी०, उत्तर रेलवे, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।